U;k;ky; fMohtuy dfe'uj] tks/kiqj
ihBklhu vf/kdkjh % Mk0 jktsa'k 'kekZ] vkbZ-,-,l-

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 01/2021

vihykUV बनाम **jLiksUMsUV**

जीवाराम पुत्र घीसाराम देवासी
निवासी– घेनडी, तहसील रानी
जिला पाली।

उप तहसीलदार
खिवाडा

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश दिनांक 28.12.2020 जो न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली राजस्व अपील संख्या 46/2020 अनवान जीवाराम बनाम राज्य में पारित किया गया।

उपस्थितीः––
1. श्री नवीन दवे, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

fu.kZ;

fnukad% tuojh] 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर, पाली राजस्व अपील संख्या 46/2020 अनवान जीवाराम बनाम राज्य में पारित के विरूद्व यह द्वितीय अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.01.2021 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा की बहस सुनी गई।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उपतहसीलदार खिवाडा के द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व ग्राम घेनडी के भूमि ख0सं0 598 रकबा 0.04 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन नदी में करते हुए बाडा बना कर अतिक्रमण कर लिये जाने के कारण राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी व आदतन अतिक्रमी मानते हुए किये गये अतिक्रमण

भूमि से बेदखल करने एवं उनको 03 माह के कारावास के दण्डित किये जाने का दिनांक 08.10.2020 का आदेश पारित किया।

3. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उपतहसीलदार खिवाडा के दिनांक 8.10.2020 के आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट के द्वारा राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम राजस्व अपील अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत की। अति0 जिला कलेक्टर पाली ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरान्त अपीलान्ट की प्रथम अपील को अपने आदेश दिनांक 28.12.2020 के द्वारा अस्वीकार कर तहसीलदार के आदेश को यथावत बहाल रखा। अति0 जिला कलेक्टर पाली के उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह द्वितीय अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है।

4. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह निवेदन किया कि अपीलान्ट के प्रकरण में अपीलान्ट ने उपतहसीलदार कार्यालय के समक्ष यह तथ्य उजागर किये थे कि मौके पर कोई अतिक्रमण नहीं है और उस जगह पर नदी का बहाव नहीं है जिस कारण से पैमाइश किये जाने हेतु उनसे निवेदन किया परन्तु पटवारी द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति न तो देखी गई और न ही किसी प्रकार की कोई पैमाइश की गई। अपीलान्ट इसी मुगालते में रहा कि कोई कार्यवाही होगी। इसी दरम्यिान उपतहसीलदार खिवाडा के द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने व 03 माह के साधारण कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया जो निरस्त करने योग्य है।

5. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि उपतहसीलदार के द्वारा पारित किये गये आदेश की जानकारी अपीलान्ट को होने पर अपीलान्ट ने अति0 जिला कलेक्टर पाली के न्यायालय के समक्ष अपील पेश की एवं अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में उपतहसीलदार खिवाडा से रिपोर्ट चाही गई परन्तु पटवारी खिवाडा के द्वारा पूर्ववर्ती रिपोर्ट ही पुनः प्रेषित कर दी। जबकि अपीलान्ट ने भी अन्य अतिक्रमियों की भांति किये गये अतिक्रमण को तत्समय ही हटा दिया था और अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष अन्य अतिक्रमियों के द्वारा अतिक्रमण हटा लिये जाने की मौका रिपोर्ट प्रस्तुत हो जाने पर उनकी प्रथम अपील को आंशिंक रूप से स्वीकार करते हुए उप तहसीलदार खिवाडा के द्वारा पारित आदेशों को

संशोधित कर 03 माह के साधारण कारावास की सजा को निरस्त कर जैर अपील आराजी से भौतिक रूप से बेदखल करने का आदेश यथावत रखा। परन्तु अपीलान्ट के प्रकरण में अपीलान्ट के द्वारा भी इस प्रकार का निवेदन किया कि उसके द्वारा भी अतिक्रमण को हटा दिया गया है परन्तु मौका रिपोर्ट समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हो पाने के कारण उसके किये गये निवेदन को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और दिनांक 28.12.2020 को अपीलाधीन आदेश पारित कर उपतहसीलदार खिवाडा के द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखा जो विधि विपरित होने से निरस्त करने योग्य है। (अति0 जिला कलेक्टर पाली न्यायालय द्वारा अन्य अतिक्रमियों के विरूद्ध पारित किये गये आदेशों की प्रतियॉ फार्म नं. 3 के साथ अवलोकनार्थ प्रेषित है।)

6. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलान्ट के अतिक्रमण के सम्बन्ध में तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के समक्ष निवेदन करने पर भू0अ0निरीक्षक से रिपोर्ट तलब की गई थी तो भू0अ0निरीक्षक के द्वारा दिनांक 29.12.2020 को मौके पर जाकर जॉच की तो उसमें अपीलान्ट के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा हुआ पाया जिसकी प्रति अवलोकनार्थ संलग्न है। उक्त जॉच रिपोर्ट समय पर अति0 जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाने के कारण अपीलान्ट की अपील को खारिज कर दिया गया। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

7. अपीलान्ट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी भी गैर मुमकीन नदी की भूमि नहीं थी, उक्त भूमि के लगते–लगते राजकीय कार्यालय आये हुए है। परन्तु पटवारी के द्वारा द्वेषतावश इस प्रकार की रिपोर्ट बनाकर पेश की जिसमें मौका फर्द पर अन्य किसी व्यक्ति की गवाही/साक्ष्य नहीं ली है, मात्र पटवारी की ओर से पेश रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की सत्यता नहीं आकी जा सकती है। उक्त खसरान भूमि पर ग्राम पंचायत की ओर से कई लोगों को पटटे भी जारी किये हुए है। पटवारी ने केवल अपीलान्ट को अतिक्रमी मान धारा 91 का प्रकरण तैयार कर तहसील कार्यालय को प्रस्तुत कर दिया। इसके अतिरिक्त उपतहसीलदार न्यायालय के द्वारा धारा 91 नियम 3 व नियम 6 की पालना पूर्ण नहीं की गई यानि अपीलान्ट को सुनवाई का पूर्ण

मौका नहीं दिया गया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय होने से भी निरस्त करने योग्य था। अतः उपरोक्त तथ्यों पर गौर फरमाते हुए अपीलान्ट की अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावें।

8. हमने अपीलान्ट की ओर से की गई बहस को सुना तथा अपील के संलग्न प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों इत्यादि का अवलोकन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि उप तहसीलदार न्यायालय के द्वारा उक्त गैर मुमकीन नदी क्षेत्र में अतिक्रमियों के द्वारा किये गये अतिक्रमणो के प्रकरण पटवारी के द्वारा तैयार कर प्रस्तुत करने पर उनके विरूद्ध राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत वादग्रस्त भूमि से जुर्माना राशि आरोपित करते हुए बेदखली कार्यवाही करने एवं 03 माह के साधारण कारावास की सजा दिये जाने के कार्यवाही सम्पादित की गई है।

9. इस प्रकार के प्रकरणों में धारा 75 के तहत अति0 जिला कलेक्टर पाली के समक्ष अपीले प्रस्तुत होने पर अति0 जिला कलेक्टर पाली के द्वारा तहसीलदार कार्यालय से मौके पर से अपीलान्ट/अतिक्रमी के द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटा लिये जाने सम्बन्धी रिपोर्ट तलब करने पर अतिक्रमण हटाये जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अति0 जिला कलेक्टर पाली न्यायालय द्वारा उक्त अतिक्रमियों की प्रथम अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए धारा 91 के तहत उपतहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश में आंशिक संशोधन कर अतिक्रमी को 03 माह की साधारण कारावास की सजा को अपास्त करते हुए अतिक्रमी को बेदखल करने के आदेश को यथावत बहाल रखने का आदेश पारित किया गया है। चूंकि अपीलान्ट के प्रकरण में अतिक्रमी के अतिक्रमण हटाने की रिपोर्ट समय पर तहसील कार्यालय में अथवा अपीलीय न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो पाने के मध्यनजर अपीलान्ट की अपील को अस्वीकार किया जाना पाया गया है। ऐसे में उल्लेखित समस्त ऑब्जवेशनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के मध्यनजर हम यह समझते है कि अपीलान्ट की अपील आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण को पुनः सुनवाई एवं नये सिरे से निर्णय पारित करने हेतु अति0 जिला कलेक्टर पाली को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अति0 जिला कलेक्टर पाली इस निर्देश के साथ

प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त आब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने, वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त प्रकरण में राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार पुनः यथोचित आदेश पारित करें। रिमाण्ड प्रकरण के निर्णय होने तक अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.12.2020 में अंकित ''अपीलार्थी जीवाराम को 03 माह की सिविल कारावास की दी गई सजा'' को अस्थाई रूप से स्थगित रखा जावें। निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

¼Mk0 jkts’k 'kek½
fMoh tuy dfe’uj]
tks/kiqj